

भर्ती मामले में सफेद झूठ बोल रही सरकार

■ जन सूचना अधिकार ने जिली जानकारी में दर्जनों विभागों में 30 से 40 प्रतिष्ठत पद दिए ■ अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक बड़ी सख्ती में दिए पद



लखनऊ, संवाददाता। कर्मचारी, शिक्षक एवं अधिकारी, पेंशनर्स अधिकार मंच ने सरकार ने सरकार की तरफ से भर्ती के बारे में दिए जा रहे आकड़ा को सिरे से खारिज कर दिया है। मंच के अध्यक्ष डा. दिनेश चन्द्र शर्मा, प्रधान महासचिव सुशील कुमार त्रिपाठी तथा ही किशोर त्रिपाठी ने पत्रकारों से सम्पुष्ट बातचीत के दौरान बताया कि सरकार अपने साथ तीन साल के भर्ती मामले के जो आकड़े बता रही है वह गलत है।

जन सूचना अधिकार के तहत दी गई जानकारी में इसका खुलासा होता है। सहकरिता, दिव्यांग मस्तकीकरण, कर्मचारी बीमा जन चिकित्सा, वाणिज्य कर, वाणिज्यकर मुख्यालय, सर्तकता जैसे दर्जनों विभागों में 30 से 40 प्रतिष्ठत पद लम्बे असेंसें से खाली पड़े हैं। पत्रकार वार्ता में मोजूद मंच के संरक्षक बाबा हरदेव सिंह, वरिष्ठ उपचायक एस.के.सिंह, सर्तीकुमार पाण्डेय, एन.पी.त्रिपाठी, यादवेन्द्र मिश्रा, वरेन्द्र सिंह

कुम्हारांग इंटर कालेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वेबिनार आयोजित

लखनऊ, संवाददाता। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पांच सितम्बर से प्रचीन सितम्बर तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न बिन्दुओं पर परिचर्चायें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बैठकी का जाला में कुहारांग इंटर कालेज में एक बैठकारा का आयोजन किया गया। जिसमें प्रमुख शिक्षाविदों ने परिचर्चायें भाग लेते हुए अपनी सहभागिता दर्ज करायी। बैठकारा में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय नन्द कुमार उपस्थित थे। मठलिय विज्ञान प्राप्ति अधिकारी डा० दिनेश कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राप्ति पर विस्तार से परिचर्चा की। प्रधानाचार्य कुम्हारांग इंटर कालेज ने शिक्षा पर्व में होने वाले बदलावों के बारे में बताया तो बही प्रबला बदलना विकारी ने शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले दूरामी परिणामों के बारे में विस्तार से बताया।

इस्पेफने मुख्यमंत्री से की सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियाँ केंद्र व राज्यों में लागू किया जाने की मांग

लखनऊ, संवाददाता। इस्पेफने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को इस्पेफनी की ओर से धन्यवाच जापान करते हुए मांग की है कि 2 वर्ष से लंबित वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप सातवें वेतन आयोग की वेतन विस्तारित्यां व अन्य भर्ते तथा कैडर पुनर्गठन पर शीघ्र कैबिनेट से मंजूरी कराकर निर्णय करके सदाचार का वातावरण बनाकर प्रदेश के विकास की गति को नया स्वरूप दें। शासन से कर्मचारियों के बीच आपसी समाजंस्य से सरकार के गांवों से दिखायी देते हैं। प्रदेश का कर्मचारी विकास कारोबार में उनके साथ है। बशर्ते उनका मूलभूत समस्याएं पूरे हो जाय इंडियन पब्लिक सर्विस इंस्पेफन फैंडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानामंत्री एवं अन्य राजों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नतियां तलाकल करके नियुक्तियां जारी किया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि उनके परिवार को दी जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए।

विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने तिरंगा यात्रा का समर्थन किया

लखनऊ, संवाददाता। पठान समाज के अध्यक्ष मुशीर अहमद खान ने मूहमद अफक द्वारा भीमी की ओर उत्तर दिया है कि 2 वर्ष से लंबित वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप सातवें वेतन आयोग की वेतन विस्तारित्यां व अन्य भर्ते तथा कैडर पुनर्गठन पर शीघ्र कैबिनेट से मंजूरी कराकर निर्णय करके सदाचार का वातावरण बनाकर प्रदेश के विकास की गति को नया स्वरूप दें। शासन से कर्मचारियों के बीच आपसी समाजंस्य से सरकार के गांवों से दिखायी देते हैं। प्रदेश का कर्मचारी विकास कारोबार में उनके साथ है। बशर्ते उनका मूलभूत समस्याएं पूरे हो जाय इंडियन पब्लिक सर्विस इंस्पेफन फैंडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानामंत्री एवं अन्य राजों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नतियां तलाकल करके नियुक्तियां जारी किया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि उनके परिवार को दी जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगालाना सर्वायक, तकनीकी एवं संस्कृत कर्मचारी के तकाल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राजों की मुख्यमंत्रियों के बायो सांघर्ष में जारी रही थी और अन्य राजों के मुख्यमंत्री को भारतीय विकास की ओर उत्तर दिया जाए। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे मृत डॉक्टर, नरसंज, पर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रय

ਸੋਧਾਲ ਨੀਂਦਿਆ ਪਰ ਲਗਾਨ ਜਾਈ ਹੈ

दश इस समय कारना वायरस के संकट से ज़्यू होता है। संकट के इस दौर में भी सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर फेक वीडियो व फेक खबरें बड़ी संख्या में चल रही हैं। हम सबके पास सोशल मीडिया के माध्यम से रोजाना कोरोना के बारे में अनगिनत खबरें और वीडियो आते हैं। इनमें से अनेक किसी जाने-माने डॉक्टर के हवाले से होते हैं। कभी फेक न्यूज में कोरोना की दवा निकल जाने का दावा किया जाता है, तो कभी वैक्सीन के बारे में भ्रामक सूचना फैलायी जाती है। आम आदमी के लिए यह अंतर कर पाना बेहद कठिन होता है कि कौन-सी खबर सच है और कौन-सी फेक। फेक न्यूज को तथ्यों के आवरण में ऐसे लपेट कर पेश किया जाता है कि आम व्यक्ति उस पर भरोसा कर ले। व्हाट्सएप के इस दौर में आम आदमी को यह पता ही नहीं चलता कि वह कब फेक न्यूज का शकर हो गया और उस आग बढ़ाकर कितने और लोगों को प्रभावित कर दिया। कुछ समय पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि फेक न्यूज सबसे बड़ी समस्या है और इस पर अंकुश लगाने के तरीकों पर चर्चा करनी चाहिए। यह सच है कि मौजूदा दौर की सबसे बड़ी चुनौती फेक न्यूज है। सच्ची खबर को तो लोगों तो पहुंचने में समय लगता है, लेकिन फेक न्यूज के तो जैसे पंख लग होते हैं, जंगल में आग की तरह फैलती है और समाज में भ्रम और तनाव भी पैदा कर देती है। सोशल मीडिया की खबरों के साथ सबसे बड़ा खतरा यह भी रहता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका पता लगाना मुश्किल काम है। यह बात एकदम साफ है कि सोशल मीडिया बेलगाम हो गया है, तो दूसरी ओर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि

आम जनता तक पहुँचन के लिए सोशल मीडिया एक असरदार वैकल्पिक माध्यम के रूप में भी उभरा है। राजनीतिक, सामाजिक संगठन और आमजन इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लेकिन, कई बार वे भी फेक न्यूज का शिकार हो जाते हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सोशल मीडिया को लेकर दिदिशा-निर्देश की सख्त जरूरत है। ताकि भ्रामक जानकारी डालने वालों की पहचान की जा सके। अदालत ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि हमारी निजता तक सुरक्षित नहीं है और निजता का संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। कोई किसी को ट्रोल करें करे और झूटी जानकारी करें फैलाये। आखिर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने का हक कर्यों नहीं है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आज के दौर में हमारे पास सोशल मीडिया को लेकर सख्त

दिशा-नन्दिश हान चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर किसी उत्तरोगकर्ता को सेवा प्रदाता से ये पूछने का हक क्यों नहीं है कि मैसेज कहां से शुरू हुआ है. हमें इंटरनेट की चिंता आखिर क्यों नहीं करनी चाहिए. पीठ ने कहा कि हम सिफर्यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि ऑनलाइन अपराध कहां से शुरू हुआ, उसका पता लगाने की तकनीक हमारे पास नहीं है. अगर ऐसा करने की कोई तकनीक है, तो उसे रोकने की भी कोई तकनीक होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के पास आधार से सोशल मीडिया को जोड़ने की याचिकाएं विचारार्थ लंबित हैं. ऐसी याचिकाएं बॉम्बे, मध्य प्रदेश और मद्रास हाईकोर्ट में लंबित थीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है. इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल दो धार्मिक समुदायों के

बाच नपरत का बाज बान के लिए
नहीं होना चाहिए, खास तौर पर
फेसबुक, ट्रिवटर जैसे सोशल
मीडिया पर पोस्ट करते समय
इसका जरूर ख्याल रखा जाना
चाहिए. पीठ ने कहा था कि भारत
जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लोगों को
वह महसूस होना चाहिए कि वे
अन्य धर्मों के लोगों के साथ शांति
प्रेरणा से रह सकते हैं. लोग बोलने की
आजादी व अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का इस्तेमाल अनुशासित
होकर करें, खास तौर से सोशल
मीडिया में पोस्ट करते समय
इसका ध्यान जरूर रखें. पीठ ने
कहा कि आलोचना निष्पक्ष व
एचनात्मक होनी चाहिए.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़
में दूसरों की आस्था को आहत
नहीं करना चाहिए. अभिव्यक्ति
की आजादी का इस्तेमाल
संविधान के तहत तर्कसंगत तरीके
परे करना चाहिए. हालांकि,
प्रकार इस दिशा में प्रयास करती
आयी है, लेकिन वे नाकाफ़ी

वित हुए ह. कद्र सरकार न सद के मौजूदा सत्र के दौरान क सवाल के जवाब में जानदारी है कि देश में झूठ और नफरत लाने वाले 7819 वेबसाइट काउंट पर कार्याई की गयी है। नेकट्रॉनिकी और सूचना व्यौगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे एक लिखित जवाब में बताया इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के पथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंसा भड़काने वाली सूचनाएं बढ़ी हैं। इसके मद्दनजर कार्याई भी तेज हुई है। उन्होंने तात्या कि पिछले तीन वर्षों में कई बसाइट, वेबपेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कराया गया है। वर्ष 2017 में 385, 2018 में 2799 और 2019 में 3635 वेबसाइट, वेबपेज और सोशल मीडिया काउंट्स को बंद कराया गया। प्रकार पिछले तीन साल में 819 अकाउंट और वेबसाइट क खिलाफ कारबाई हुई ह. फेक न्यूज को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसके प्रचार-प्रसार को रोकने में यह उपाय भी बेअसर साबित हुआ है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में फेक न्यूज को लेकर कुल 257 मामले दर्ज किये गये हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में फेक न्यूज और अपन्नाह फैलाने के सबसे अधिक 138 मामले दर्ज किये गये, जबकि उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज के 32, केरल में 18 और जम्मू-कश्मीर में फेक न्यूज के केवल चार मामले ही दर्ज किये गये। फेक न्यूज को लेकर नेशनल क्राइम ब्यूरो ने ऐसे मामलों को शामिल किया है जो आइपीसी की धारा 505 और आइटी एक्ट के तहत दर्ज किये गये हैं। फेक न्यूज की समस्या इसलिए भी जटिल होती जा रही है क्योंकि देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी भारत में 74.3 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तमाल कर रहे हैं। दरअसल, भारत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है। विभिन्न स्रोतों से मिले आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में व्हाट्सएप के एक अरब से अधिक सक्रिय यूजर्स हैं। इनमें से 16 करोड़ भारत में ही हैं। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 15 करोड़ है और टिकटोक अकाउंट्स की संख्या 2 करोड़ से ऊपर है। बीबीसी ने फेक न्यूज को लेकर भारत सहित कई देशों में अध्ययन किया है। इस शोध की रिपोर्ट के अनुसार लोग बिना खबर या उसके स्रोत की सत्यता जांचे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। हमें करना यह चाहिए कि कोई भी सनसनीखेज खबर की एक बार जांच अवश्य करें ताकि हम फेक न्यूज का शिकार होने से बच सकें। मैं जानता हूं कि यह करना आसान नहीं है और यह अपने आप में बड़ी चुनौती है।

सम्पादकाच

आत्मनिर्भरता में बैंकों का योगदान

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਈ ਪਾਸਤਰ ਨ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂਗਾ।

बीच खेती में सुधार से जुड़े दो प्रमुख बिल किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता विधेयक ध्वनिमत से पास हो गये। सरकार ने इन बिलों को पास कराते हुए कहा कि इससे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आयेगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन में बिल पेश किया। राज्यसभा में सरकार का बहुमत न होने के बावजूद गैर-राजग, गैर-संप्रग राजनीतिक दलों के फ्लोर मैनेजमेंट के जरिये पास कराया गया। तमिलनाडु की जयललिता की पार्टी आल इंडिया द्रविण मुनेत्र कषगम के नौ सदस्य सरकार के पक्ष में खड़े रहे जिन्होंने सरकार द्वारा पेश इस बिल को संजीवनी देने का काम किया। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने बिल के विरोध में अब तक की परम्पराओं के भिन्न राज्यसभा के उपसभापति का माइक छीनने वाले डोने का प्रयत्न किया। यही नहीं, उन्होंने उपसभापति के सामने रखी रूल बुक को भी फड़कर एक इतिहास बना डाला। खेती से जुड़े इस बिल को लेकर सदन के

में दिखाइ दिये लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा आंदोलित रहे। किसान संगठन और विपक्षी राजनीतिक दल इस बिल को काला कानून तथा किसानों को गुलाम बनाने की दलिलें देते रहे। विपक्ष की मांग थी कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा के साथ ही शिरोमणि अकाली दल भी इन बिलों को पास कराने विरोध में था। यहां तक कि शिरोमणि अकाली दल के कोटे से सरकार में मंत्री रहीं हरसिमरत कौर ने इन्हीं बिलों के लोकसभा में पास होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। शिरोमणि अकाली दल सरकार का बाहर से समर्थन करने के बावजूद राज्यसभा में इन बिलों पर विरोध में अपना मत रखा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राकांपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य दल भी बिल को पास न होने देने के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे थे लेकिन संख्यावल का प्रबन्धन सरकार ने कर लिया जिसके कारण यह बिल पास हो गया। बिल पास होने के साथ ही सदन की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल का समर्थन

तलाश कर लिया है जब पूरा देश कोरोना के संकट और अर्थव्यवस्था की मंदी से गुजर रहा है। लोगों के काम के अवसर घट गये हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, उद्योग-धंधे मरणासन्न हो गये हैं। ऐसे में खेती ही वह रास्ता बचता है जिससे कुछ उम्मीद बंधी थी अब सरकार ने इसे भी यह बताकर कि इन बिलों से किसान आजाद हो गया है अब तक वह लुगामी में जी रहा था, लुभाने की क्रीफिश कर रही है। सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई थी तभी से किसानों में विरोध की सुगंगाहट होने लगी थी। संसद सत्र के शुरू होने के साथ ही यह आदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। सब कुछ बाजार के भरोसे करके सरकार धीर-धीरे अपना पल्ला छुड़ाना चाह रही है जिस प्रकार किसानों से जुड़े बहुत सी योजनाओं की सब्सिडी खत्म कर दी गई उसी प्रकार आत्मनिर्भर किसान के नाम पर वह इन बिलों के माध्यम से बाजार के भरोसे किसान को छोड़ देना चाह रही है। सबसे अधिक संख्या लघु एवं पद्धति किसानों की है जोतें छोटी हैं आबादी बढ़ चुकी है। कट्रिक्ट मर्मिंग के जरिये पंजाब में कुछ मूलां पर प्रयोग किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप किसानों को

नन्द मोदी सरकार ने किसानों की उपयोगिता का दुगुनी करने का वायदा किया है। जो आंकड़ों के जाल में फंसी है। सरकार का दावा है कि उसने स्वामीनाथन आयोग की अफारिशों को लागू किया है। देश 70 फीसदी से भी अधिक लोग इसी पर अश्रित हैं। एक करोड़ से अधिक की आबादी जो गांवों पलायन करके शहरों में रोजी-रोजी के लिए गई थी, कोरोना और लॉकडाउन के दौरान तमाम कष्ट हते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए, भूख-प्यास से बेहाल पैदल, डिकिल, रिक्षे, टेम्पो से अपनी ती की ओर लौटी क्योंकि उसे मीद की यही एक किरण नजर आई। शहर जो उसके लिए परदेश, जहां वह कमाने गया था उसी ने उसे ठौर नहीं दिया कि इस अपना भविष्य वहां देख सके। तीव्र वह आधार थी, जहां एक ज से सौ दाने निकलते हैं फिर उसे किसान की हालत इतनी पतली कि यदि उसके बच्चे बाहर से माकर न दें तो वह खेती करने सक्षम नहीं हो सकता है। गांवों नकदी की भारी कमी बनी रहती गांव में मजदूरी करने पर काम उसे पैसे उसी दिन नहीं मिलते हैं। मनरेगा का बड़ा शोर रहता लेकिन उसकी धनराश भी इन जूदरों को तत्काल नहीं मिल कारण गांव गिराव युवाओं से खाली हो गये। जिसकी असलियत लॉकडाउन के दौरान पड़ी जब यही लोग बेहाली, बदहाली के साथ अपने घरों की ओर लौटने लगे। जिस प्रकार खुले बाजार में किसानों के उत्पादों के बिक्री की बात की जा रही है किसानों का शोषण तय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को नहीं मिल पाता है उनकी फसलें बिचौलिया उनके घरों से खरीद लेता है और वही जाकर सरकार के केन्द्रों पर देता है। ऐसे छोटे और मध्यम किसानों को केन्द्र तक अपनी फसल ले जाने का भाड़ा वहां खड़े रहने का संकट और फिर गुणवत्ता के नाम पर औने-पौने में बेचने से बच जाता है। वह घर पर ही समर्थन मूल्य से कम में बेचकर छुट्टी पा जाता है। कोरोना काल को प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर तलाशने की बात कही थी लोग उसे नहीं तलाश सके लेकिन सरकार ने इस आपदा के बीच विपक्ष के सुझाव को दरकिनार करते हुए खेती से सम्बन्धित अध्यादेश ले आई जिसे उसने अब कानून की शक्ति में पास करा दिया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। इस बिल का विरोध करने लेकिन उसने भी इस प्रकार के उपयोग सुझाये थे। सत्ता से बाहर होने के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाई। कोरोना काल में जब लॉकडाउन व अन्य कारणों से सभी उद्योग धंधे बंद हो गये थे किसानों ने बीड़ा उत्थाया जिसकी बढ़ावलत अर्थव्यवस्था कुछ ठहरी हुई है। सरकार ने भी गरीबों को अनाज देने की योजना इसलिए कारगर हो पाई क्योंकि किसानों ने अनाज पैदा करके सरकार के भंडार भर रखे थे। खेती किसान का जीवन है वह यदि अन्न न उपजाता तो कोरोना और लॉकडाउन के काल में स्थिति कहीं अधिक भयावह हो जाती। किसान ने लॉकडाउन में पुलिस की लाठियां खाकर भी अन्न का उत्पादन किया उसकी सुरक्षा की। जिसे सरकार अपनी उपलब्धि में गिनती है किसानों को यदि बेहतर सुविधाएं उनकी उपज में लागत को दोगुना वास्तव में मिल जाता तो किसान का जीवनस्तर भी ऊंचा उठ जाता। जो किसान धान, गेहूं जैसी न्यूनतम जरूरत की फसलें उगाते हैं उसी के साथ वे गन्ना, मेंथा, आलू, कपास जैसी कुछ नकदी फसलें भी ले लेते हैं जिससे उनके हाथों में कुछ नकदी भी आ जाती है जिसके भरोसे उनका जीवन चल पाता है।

एकूला राज्यों की बदहाली आई प्राइवेट एकूल

इसका सारा ठोकरा सरकारी स्कूलों के मध्ये मढ़ दिया जाता है, इसके बरक्स प्राइवेट स्कूलों को श्रेष्ठ अंतिम विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। भारत में शिक्षा के संकट को सरकारी शिक्षा व्यवस्था के संकट में समेट दिया गया है और बहुत चुतार्ह से प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था को बचा लिया गया है। भारत में सरकारी की मंशा और नीतियां भी ऐसी रही हैं जो सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था को हतोत्साहित करती हैं। लेकिन निजीकरण की लाबी द्वारा जैसा दावा किया जाता है क्या वास्तव में प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर और चमकदार है ? बदहाली के भागीदार आम तौर पर हमें सरकारी स्कूलों के बदहाली से सम्बंधित अध्ययन रिपोर्ट और खबरें ही पढ़ने को मिलती हैं परन्तु इस साल जुलाई में जारी की गयी सेंट्रल स्कायर फाउंडेशन की रिपोर्ट प्राइवेट स्कूल इन डिडियाश में देश में प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिलचस्प खुलासे किये गये हैं जिससे प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई बनाये गये मिथक टूटते हैं ।

जबरदस्त उछल आया है, आज भारत में प्राइवेट स्कूलों की संख्या और पहुंच इतनी है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्कूली सिस्टम बन चुका है, स्कूली शिक्षा के निजीकरण की यह प्रक्रिया उदारीकरण के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। 1993 में करीब 912 प्रतिशत बच्चे ही निजी स्कूलों में पढ़ रहे थे जबकि आज देश के तकरीबन 50 प्रतिशत (12 करोड़) बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिसके चलते आज भारत में प्राइवेट स्कूलों का करीब 2 लाख करोड़ का बाजार बन चुका है। गंगी गई छवि के विपरीत प्राइवेट स्कूलों के इस फैलाव की कहानी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, मनमानेपन, पारदर्शिता की कमी जैसे दाग भी शामिल हैं। दरअसल भारत में निजी स्कूलों की संख्या तेजी से तो बढ़ी है लेकिन इसमें अधिकतर श्वेतस्त्र स्कूलशृंखला है जिनके पास संसाधनों और गुणवत्ता की कमी है, लेकिन इसके बावजूद मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग सरकारी स्कूलों के मुकाबले इन्हीं स्कूलों

नंजा स्कूल का 1,000 रुपय प्रतिमाह से कम फीस का भुगतान करते हैं, जबकि 45 अधिभावक नेजी स्कूलों में फीस के रूप में 500 रुपये महीने से कम भुगतान करते हैं। सेंट्रल स्कायर फाउंडेशन की रिपोर्ट इस ध्रम को भी तोड़ती है कि प्राइवेट स्कूल गुणवत्ता बाली स्कूली शिक्षा दे रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले 60 प्रतिशत निजी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के छात्र सामान्य प्रश्न को हल भी नहीं कर पाते हैं, जबकि कक्षा पांचवीं के 35 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा का एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की ही नहीं है, रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सबसे संपत्र 20 फीसदी परिवारों के 8 से 11 साल के बीच के केवल 56 फीसदी बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पैरा पढ़ सकते हैं। बड़ी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में भी प्राइवेट स्कूलों की स्थिति खराब है, राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के आकड़े बताते हैं कि

मथा। कई राज्य और केंद्रीय डिपरिशनों में भी हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों बेहतर नतीजे दे रहे हैं। मिसाल तौर पर मध्यप्रदेश में इस वर्ष दसवीं परीक्षा के जो नतीजे आये हैं उसमें प्राइवेट स्कूलों की पेक्षा सरकारी स्कूल के छात्र गो रहे, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के 63.6 प्रतिशत के काबले प्राइवेट स्कूलों के 61.6 प्रतिशत परीक्षार्थी ही पास हुए हैं, इस्थिति प्रदेश के सभी जिलों रही है। यही हाल इस साल के रहवीं के रिजल्ट का भी रहा है, वर्ष बारहवीं के एमपी बोर्ड रिजल्ट में सरकारी स्कूलों के 1.4 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुये बल्कि प्राइवेट स्कूलों में पास ने वाले विद्यार्थियों का दर 4.9 प्रतिशत रहा है। इन रिस्थितियों के बावजूद भारत में स्कूली शिक्षा के निजीकरण की बड़ी इस विचार को स्थापित रखने में कामयाब रही है कि भारत में स्कूली शिक्षा के बढ़हाली लिए अकले सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेदार है और शिक्षा के निजीकरण से ही इसे खालने का नियम का ढाला कर दिया जाये। गौरतलब है कि हमारे देश में स्कूल खोलने के एक निर्धारित मापदंड हैं जिसे प्राइवेट लॉबी अपने लिये चुनौती और घाटे का सौदा मानती है और दूसरा जो कि उनका अंतिम लक्ष्य भी है, सरकारी स्कूलों के व्यवस्था को पूरी तरह से भंग करके इसे बाजार के हवाले कर दिया जाये। दरअसल भारत में स्कूली शिक्षा की असली चुनौती सरकारी स्कूल नहीं बल्कि इसमें व्याप असमानता और व्यवसायीकरण है। आज भी हमारे अधिकतर स्कूल चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने का दर बहुत अधिक है। आजादी के बाद से ही हमारे देश में शिक्षा को वो प्राथमिकता नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार है। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद हमारी सरकारें इसकी जबाबदेही को अपने ऊपर लेने से बचती रही हैं। एक दशक पहले शिक्षा अधिकार हुई है। समाज और व्यवस्था का यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर चीज मुनाफ़ कूतने के लिये नहीं है जिसमें शिक्षा भी शामिल है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे बुनियादी क्षेत्र हैं जिन्हें आप सौदे की वस्तु नहीं बना सकते हैं। इन्हें लाभ-हानि के गणित से दूर रखना होगा। शिक्षा में अवसर की उपलब्धता और पहुंच की समानता बुनियादी और अनिवार्य नियम है जिसे बाजारीकरण से हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल हैं वह भी इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम साबित हुई है। इसलिये यह भी जरूरी है कि सावर्जनिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिये इसमें समाज की जिम्मेदारी और सामुदायिक सक्रियता को बढ़ाया जाये। जिससे स्कूली शिक्षा के ऐसे मॉडल खड़े हो सकें जो शिक्षा में श्वेतसर की समानताश के बुनियाद पर तो खड़े ही हों साथ ही शिक्षा के उद्देश्य और दायरे को भी विस्तार दे सकें जिसमें ज्ञान और कौशल के साथ तर्क, समानता, बन्धुत्व के साथ जीवन की जीवनी की जीवनी की

सार समाचार



ब्रॉडेटाइन पीरियड पूरा कर दुबई के जैदान पर पहुंची प्रिटी जिंटा

नई दिल्ली एजेंसी।

आईपीएल का दूसरा मैच ही सुपर ओवर तक गया। एक समय पंजाब की जीत लगभग तय थी, लेकिन दिल्ली ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट छुक कर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। इसके बाद दिल्ली ने सुपर ओवर में मैच अपने नाम किया। इस बीच, क्रारैटाइन पूरा करने के बाद किस्स इलेवन पंजाब की को-अपर प्रिटी जिंटा भी दुबई के स्टेडियम में पहुंची। आइए फोटोज में देखें हैं मैच के टाई होने और सुपर ओवर का रोमांच...

1. 19वें ओवर की चौथी बॉल पर मयंक

अग्रवाल को एक और जीवनदान मिला। दिल्ली के कसान श्रेयस अच्युत ने बाउंसी पर मयंक का कैच छोड़ा। उस समय पंजाब को जीत के लिए 14 बॉल पर 20 रन बनाने थे। 2. पंजाब को जीत के लिए आखिरी 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे 20वें ओवर में मार्कस स्टोडिनस ने 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल और आखिरी गेंद पर किस जॉर्डन को आउट कर पंजाब के हाथ में जीत छीन ली। 3. सुपर ओवर से पहले मैच के हीरो हो रहे मार्कस स्टोडिनस। स्टोडिनस ने बैटिंग करते हुए 5.35 रन बनाए और गेंदबाजी में आखिरी 2 गेंदों में 2 विकेट भी लिए। 4. सुपर ओवर में दिल्ली के किसिसे रबाडा ने शानदार गेंदबाजी की। रबाडा ने 3 बॉल पर 2 रन दिए और केएल राहुल और निकोलस पूरन का विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। 5. इसके बाद दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत ने आखिरी से अपनी टीम को मैच जीता किया। मोहम्मद शमी ने इस ओवर में एक वाइट सेंटर 3 रन दिए। 6. सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने किस्स इलेवन पंजाब को हराकर 2 व्हाइट्स हासिल किए। पिछले 4 सीजन में पंजाब पहली बार टूर्नामेंट का पहला मैच हारा है। 7. मैच के दौरान पहली पारी की आखिरी गेंद पर थोड़ा ड्रामा भी देखें को मिला। क्रिस जॉर्डन की लास्ट बॉल पर स्टोडिनस रन-आउट हो गए। तभी थर्ड अपायर ने फैंस-हिट का सिग्नल करते हुए जॉर्डन को आधिकारी बॉल फेंकने का कहा। हालांकि स्टोडिनस को पैव्हिलियन वापस लौटा पड़ा।

हमने कुछ गलतियां की इससे सीख लेंगे : राहुल

दुबई एजेंसी। दुबई, 21 सितंबर। दिल्ली कैपिटल्स के हाथों आईपीएल 13 के अपने पहले मुकाबले में सुपर ओवर में मिली हार के बाद किंस्स इलेवन पंजाब के कसान लोकेश राहुल ने कहा है कि उनकी टीम ने मैच में कुछ गलतियां की लेकिन यह टीम का टूर्नामेंट में पहला मैच था और वह इससे सीधे लेकर आगे बढ़े। दिल्ली ने पंजाब को रविवार को सासों को रोक देने वाले आईपीएल-13 के बेहद रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में पराया किया था। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 157 रन बनाए थे जबकि पंजाब की टीम भी 20 ओवर में आठ विकेट पर 157 रन बनाए। पंजाब की ओर से मयंक ने शानदार बल्लेबाजी की और 60 गेंदों में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से 89 रन बनाए। राहुल ने कहा, अगर 10 ओवर के बाद कोई कहता कि मैच सुपर ओवर में जाएगा।

कोहली के पास वॉर्नर से 2016 फाइनल की हार का बदला लेने का मौका

आईपीएल के 13वें सीजन का तीसरा मैच सनराइजर्स बैंगलुरु और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु (आरसीबी) के बीच आज दुबई में खेला जाएगा।

आरसीबी के कसान विराट कोहली के पास सनराइजर्स के कैप्टन डेविड वॉर्नर से 2016 फाइनल की हार का बदला लेने का मौका है। तब वॉर्नर ने कोहली को 8 रन से हराकर दूसरी बार वित्ताब जीता था। पिछले सीजन में आरसीबी सबसे निचले 8वें पायदान पर रही थी। जबकि हैदराबाद एलिमिनेटर तक पहुंची थी।

मुझे।



ग्रांड रिकॉर्ड : दुबई में 62 टी-20 खेले गए, पहले बैटिंग करने वाली टीम 35 मैच जीती।
पिच का मिजाज : बैटिंग आसान, स्पिनर्स को मदद रुपए देती। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच के दैशन आसान साफ रहेगा। तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मदद रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे लेयर है।

दोनों टीमों में स्पिनर्स की अहम भूमिका रहेगी

हैदराबाद के पास दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज और लेंग स्पिनर शशिर खान हैं।

नंबर-1 2013 में सन टीवी नेटवर्क ने टीम को खोली और एपी डिविलियर्स 11 करोड़ रुपए देता है।

इस मैदान पर हुए कूल टी-20-62 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती।

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच के कानाम है, जिन्हें इस सीजन में 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। वही, आरसीबी में कोहली 17 करोड़ और एपी डिविलियर्स 11 करोड़ रुपए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती।

पिच का मिजाज : बैटिंग आसान, स्पिनर्स को मदद रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे लेयर है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में मैच पांच घंटे तक लगता है।

पिच और मौसम रिपोर्ट दुबई में मैच पांच घंटे तक लगता है। उनके बाद टीम में

